



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-07092026-276046
CG-RJ-E-07092026-276046

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4698]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 3, 2026/भाद्र 12, 1948

No. 4698]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 3, 2026/BHADRA 12, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 3 सितम्बर, 2026

का.आ. 4885(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा-2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित राज्य में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा उल्लिखित परियोजनाओं को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
(1)	जोधपुर मंडल के माणकलाव स्टेशन पर नए ब्लॉक स्टेशन का निर्माण एवं गुड्स शेड का विकास	राजस्थान

[फा. सं. 3-W/Dy.CE/GSU/JU/Manaklao/Block Station]

मुरारी लाल मीना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आर.एस.पी.

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 3rd September, 2026

S.O. 4885(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37 A) of section -2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and the Railways (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government hereby notifies the following projects as mentioned in column (2) of the table in the state as mentioned in column (3) of table as special Railway project with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE**Special Railway Project**

Sr. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
(i)	New block station along with development of Goods shed at Manaklao station of Jodhpur Division	Rajasthan

[F. No. 3-W/Dy.CE/GSU/JU/Manaklao/Block Station]

MURARI LAL MEENA, Chief Administrative Officer (Const./RSP)